सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

1. सामाजिक न्याय विभाग, जिला– छिन्दवाडा

सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की जानकारी

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वद्धावस्था पेंशन
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
3. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
4. विकलांग छात्रवृत्ति
5. विकलांगों को कृत्रिम अंग उपकरणों के वितरण हेतु शिविरों का आयोजन
6. वद्धाश्रम का संचालन
7. मद्य निषेध
8. भिक्षावृत्ति निवारण
9. ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन
10. एक निर्धारित सीमा तक स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृति
11. मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
12. बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों को सहायता योजना
13. मुख्य मंत्री कन्यादान योजना
14. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
15. निःशक्तजन बालक/बालिकाओं के लिये छात्रगृह योजना 2008 :–
16. विदेश अध्ययन हेतु निःशक्त बालक/बालिकाओं के लिये छात्रवृत्ति योजना 2008 :–
17. स्थापना संबंधी जानकारी

2. उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश योजनावार निम्नवत है :–

नाम :– श्रीमती शर्मिला साहू सहायक ग्रेड – 3

शाखा का नाम :– सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना।

शाखा का संक्षिप्त कार्य विवरण :– जिले की समस्त शहरी एवं ग्रामीण योजना से संबंधित समस्त कार्य

2.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन व वृद्धावस्था पेंशन योजना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन व वद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के अधिकार जनपद पंचायतों को सौंप दिये गये है । विस्तृत निर्देश समाज कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ/1/59/26–2/95 दिनांक 4.9.96 द्वारा जारी किये जा चुके हैं जिसकी प्रति आपकी ओर पूर्व में भेजी जा चुकी है ।

(1)–1:–एकीकृत पेंशन योजना (राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एंव सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना) :–

पेंशन हेतु पात्रता :– इस योजना के अन्तर्गत पेंशन के लिये निम्न व्यक्ति पात्र होगें:–

(अ) निम्नांकित श्रेणी के निराश्रित व्यक्ति:–

1– 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध

2– 01.04.2002 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा /परित्यक्त महिलाओं को निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत की जावेगी:–

1– जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक हो ।

2 –जिनके पास कोई भूमि न हो ।

3– किसी प्रकार की कोई पेशन न मिल रही हो।

4 – जिनके पास आमदनी का कोई साधन न हो।

5– वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति :–

उपरोक्त में से 06 से 14 के विकलांगों को सहायता की पात्रता तभी होगी जब वे किसी स्कूल में भर्ती
हो कर वहॉ पढाई कर रहें हो।

(ब) गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के 6 से 14 वर्ष के विकलॉग बच्चें जो स्कूल जाते है । (भले ही वे निराश्रित न हो)

निराश्रित व्यक्तियों से अभिप्राय:–

निम्न व्यक्ति निराश्रित की श्रेणी में माने जायेगें।

1– निराश्रित हो अर्थात उसने अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी सम्भाल करने की क्षमता खो दी हो और उसके भरण पोषण के लिये उसे सहारा देने वाला कोई न हो ।

2– भूमिहीन होने के कारण अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो तथा उसके भरण पोषण के लिये सहायता देने वाला कोई न हो ।

3– यदि उसके पुत्र /पौत्र भूमिहीन है,या उसके पास भूमि सम्पत्ति होते हुये भी जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त आमदनी न हो।

टीप :–ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को पेंशन ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त संबंधित जनपद पंचायत द्वारा एंव नगरीय क्षेत्र के हितग्राहियों को पेंशन संबंधित नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृत की जाती है। विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन संबंधित जनपद पंचायत एंव नगरीय निकाय के माध्यम से प्रकरण प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जाते है। दिनांक 01.04.2006 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों को 275/– प्रतिमाह पेंशन राशि देय है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2009–2010 की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति प्रतिवेदन :– दिसंबर 2009 तक

क .	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	आलोच्य वर्ष में प्राप्त राशि	कुल राशि	व्यय राशि	बचत राशि	लाभावित हितग्राहियों की संख्या	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शहरी क्षेत्र	302.00	302.00	24581250	5618750	15636	कुल हितग्राही
2	सामाजिक सुरक्षा पेंशन ग्रामीण क्षेत्र	635.00	635.00	62748500	751500	27906	43542
3	इंदिरा गांधी रा0वृद्धा0 पेंशन यो. शहरी क्षेत्र	190.00	190.00	16241200	2758800	13708	42175
4	इंदिरा गांधी रा0वृद्धा0 पेंशन यो. ग्रामीण क्षेत्र	441.00	441.00	38615800	5484200	28467	

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2002 की गरीबी रेखा सर्वे सूची में से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 64 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं एवं 18 से 64 वर्ष आयु के निःशक्त हितग्राहियों के लिये **दिनांक 1 अप्रैल 2009** से नवीन योजना आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के अंशदान से रू.200/–प्रतिमाह भुगतान किया जाना है।

क .	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	आलोच्य वर्ष में प्राप्त राशि	कुल राशि	व्यय राशि	बचत राशि	लाभावित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	रा. इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना	3247000	3247000	3247000	–	–
	रा. इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना	3247000	3247000	3247000	–	–

2.2 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना –

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो तथा जिसकी कमाई से अधिकांशतः परिवार का गुजारा चलता हो की मृत्यु हो जाने पर दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में रूपये 10,000/– तथा प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में रूपये 10000/– की आर्थिक सहायता उसके परिवार को देने के अधिकार जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय को सौप दिये गये है ।

(2) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–

भारत सरकार की इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मुखिया (स्त्री /पुरूष) की मृत्यु होने पर आश्रितों को एकमुश्त सहायता करना है।

परिवार सहायता योजना हेतु पात्रता :–

इस योजनान्तर्गत निम्न परिवार सहायता का पात्र होगाः–

1. परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो
2. परिवार के ऐसे सदस्यों की मृत्यु हो जावें जिसकी कमाई से ही अधिकाशतः परिवार का गुजारा होता हो।
3. मृत्यु के दिनांक को मृतक सदस्य की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहियें ।
4. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार का नाम गरीबी रेखा के नीचे की सर्वे सूची में दर्ज हो।
5. परिवार में पति,पत्नि,अवयस्क बच्चे ,अविवाहित पुत्रियों एंव आश्रित माता पिता शामिल माने जावेंगें। अब परिवार में अविवाहित वयस्क एंव उसके अवयस्क भाई /बहिन भी सम्मिलित है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2009–2010 की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति प्रतिवेदनः–दिसंबर 2009 अंत तक

क्र.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	आलोच्य वर्ष में प्राप्त राशि	कुल राशि	व्यय राशि	बचत राशि	लाभावित हितग्राहियों की संख्या	रिमार्क
1	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	80.00	80.00	73.00	7.00	730	—

सहायता राशि :–

1.8.98 के पश्चात मृत्यु होने पर प्राकृतिक/अप्राकृतिक दोनों ही स्थिति में 10000.00 (दस हजार) की सहायता दी जाती है, स्वीकृती के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों को है।

टीप :– ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को राष्ट्रीय परिवार सहायता ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त संबंधित जनपद पंचायत द्वारा एंव नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा प्रकरण स्वीकृत किया जाता है।

2.3 विकलांग छात्रवृत्ति

2.3.1 सामाजिक न्याय, विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक स्नातक पाठयक्रम के लिए विकलांग छात्रवृत्ति विकलांग विद्यार्थियों को दी जाती है। विभिन्न स्तर पर निर्धारित छात्रवृत्ति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट एक में दी गई है।

2.3.2 विकलांग छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण से संबंधित पूर्व व्यवस्था को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

(अ) विकलांग छात्रवृत्ति की स्वीकृति

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शालाओं/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदन संबंधित शाला/महाविद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य प्राप्त करेंगे और उन्हें अपने अभिमत के साथ संबंधित जनपद पंचायत को भेजेगें। संबंधित जनपद पंचायत प्राचार्य की अनुशंसा प्राप्त होने पर पात्र प्रकरणों में स्वीकृत आदेश जारी करेगी । नगरीय क्षेत्र मे छात्रवृत्ति उपसंचालक पंचायत स्वीकृत करेंगे ।

(ब) भुगतान की प्रक्रिया

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आबंटन सीधे उप संचालकों को उपलब्ध कराया जावेगा । प्रथम बार में उपसंचालक गत वर्ष प्रकरणों के आधार पर तीन माह की छात्रवृत्ति की राशि की गणना कर संबंधित जनपद पंचायत को अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायेंगे। जनपद पंचायत से संबंधित शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से दो माह की छात्रवृत्ति के वितरण का हसाब और उपयोगिता प्रमाण पत्र मिलने पर उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय माह के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध करायेंगे ।

2.3.3 उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विकास खण्ड स्तर पर पंचायत एवं समाज संगठक जनपद पंचायतों में विकलांग छात्रवृत्ति के आवेदनों का निराकरण करने में जनपद पंचायत के द्वारा चाहे अनुसार मदद करेंगे ।

2.3.4 विकलांग छात्रवृत्ति स्वीकृति और वितरण के संबंध में उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार निरीक्षण पर्यवेक्षण/जांच तथा शिकायत आदि का निराकरण करा सकेंगे ।

2.4 विकलांग को कृत्रिम अंग उपकरणों के वितरण हेतु शिविरों का आयोजन विकलांगों को कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय करने के लिये वर्तमान में जिला प्रशासन के नेतृत्व में स्वैच्छिक संस्थाऐं विकलांग कल्याण शिविर आयोजित करती है। इन शिविरों में विकलांगता की पहचान सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है । उपयुक्तता के आधार पर इन विकलांगों को शिविर में ही उपकरण जैसे कैलीपर जूते टायसायकिल श्रवण यंत्र चश्मे बैसाखी आदि वितरित किये जाते हैं ।

2.4.1 ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों को कृत्रिम अंग/उपकरणें के वितरण हेतु शिविर आयोजन का कार्य अब जिला पंचायतों द्वारा किया जावेगा। शिविर आयोजन हेतु संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा सीधे जिला पंचायतों को राशि का आबंटन उपलब्ध कराया जावेगा।

2.4.2 जिला पंचायत विकलांगों की पहचान करने के लिये जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संक्षिप्त सर्वे करते हुए एक कार्यकारी योजना बनाकर शिविर आयोजन का कार्य करेगी । जिला पंचायतों द्वारा शिविर आयोजन हेतु स्वैच्छिक संगठनों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

2.4.3 राज्य शासन द्वारा विकलांगों का विशेष प्रकरण प्रदाय करने हेतु नियम भी बनाये गये है। इन नियमों के अन्तर्गत विशेष साधन/उपकरण प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी शर्ते संक्षेप में निम्नवत है –

(1) कृत्रिम अंग/उपकरणें के प्रदाय हेतु अस्थि बाधित दृस्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांग ही पात्र होंगे ।

(2) परिवार की मासिक आय रूपये दो हजार प्रतिमाह से अधिक न हो ।

(3) छात्र होने की दशा में आयु 6 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य होना चाहिए ।

(4) छात्रों को छोडकर 16 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति पात्र होंगे ।

(5) इन्हें जीवन में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये साधन की आवश्यकता हो ।

(6) मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी या मध्यप्रदेश में नियोजित व्यक्ति हो ।

(7) व्यक्ति विशेष को केवल एक बार ही सहायता दी जा सकेगी ।

(संबंधित चिकित्सा अधिकारी का विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए । विकलांगों की आयु और आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए)

2.4.4 जिला पंचायतों द्वारा शिविर में कृत्रिम अंग/उपकरण वितरण हेतु उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए ग्रामीण विकलांगों को विशेष साधन/उपकरण उपलब्ध कराये जा सकते है ।

2.5 विकलांगों की पहचान हेतु सर्वेक्षण

2.5.1 सभी श्रेणियों के विकलांग को अधिक से अधिक सुविधाएँ तथा सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु उनकी संख्या का सही ऑकलन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अभी तक यह कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों की सहायता से समय समय पर किया जाता रहा है। क्षेत्र के विकलांगों के सर्वेक्षण का कार्य जिला पंचायतों द्वारा किया जा सकेगा।

2.5.2 जिला पंचायतों द्वारा विकलांगों के सर्वेक्षण का कार्य राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर के सहयोग से शासकीय कर्मियों एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के माध्यम से किया जावेगा। इस संबंध में निर्देश संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण द्वारा पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

2.6 वृद्धाश्रम का संचालन

मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (आश्रमों की स्थापना तथा सलाहकार समिति का गठन) नियम 1984 के नियम 3 में यह प्रावधान है कि यदि कोई स्थानीय प्राधिकारी संस्था वृद्धाश्रमों को संचालित करने में आगे आती है तो वह जिले के कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर वृद्धाश्रम प्रारंभ कर सकती है । उक्त नियम के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है, कि ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धाश्रमों का संचालन सामान्यत जिला पंचायतों द्वारा स्वयं अथवा जनपद/ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही किये जाए । यदि विशेष परिस्थिति में कोई पंचायत उक्त वृद्धाश्रम के संचालन में उत्सुक न हो तो ऐसी ही परिस्थिति में जिला कलेक्टर अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं को संचालन की अनुमति दे सकेंगे । नियम बावत जानकारी जिले में स्थित पंचायत एवं समाज सेवा कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है।

2.7 मद्य निषेध

2.7.1 समाज कल्याण विभाग द्वारा मद्य निषेध के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है। इसके अन्तर्गत गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह तथा 31 मई को अन्तर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस तथा 26 जून को नशा निवारण दिवस मनाया जाता है । ग्रामीण क्षेत्र में इसका आयोजन जिला पंचायत द्वारा किया जावे।

2.7.2 भारत शासन द्वारा जिन स्वैच्छिक संस्थाओं की वित्तीय सहायता का कार्य नशामुक्ति / परामर्श केन्द्र तथा प्रचार–प्रसार कार्यक्रम का निरीक्षण एवं मानिटॉरिंग एवं मूल्यांकन का कार्य जिला/जनपद पंचायतों द्वारा किया जावे।

2.7.3 राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के मद्य निषेध कार्यक्रम के लिए दिये जाने वाले अनुदान बावत संलग्न जिला पंचायत को उपलब्ध कराया जावेगा ।

2.7.4 शराब तथा नशीले पदार्थो के सेवन की बढती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जिला/जनपद/ग्राम पंचायत जनजागृति का कार्यक्रम अपने हाथ में लें ।

2.7.5 जिला पंचायतें स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित करें ताकि वे स्वयं मद्य निषेध, मादक द्रव्य एवं पदार्थो की रोकथाम करने में सहायक सिद्ध हो सकें ।

2.7.6 पुलिस, नारकोटिक्स, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय किया जावे ताकि नशीले पदार्थो का प्रचलन गांव तक न पहुंचे ।

(ब) अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण

विभाग के अधीन विकलांग कल्याण, मद्य निसेध वृद्धों का संरक्षण , देखभाल तथा सांस्कृतिक संगठनों के संचालन के लिए अशासकीय संस्थाओं संस्थाओं को सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है । प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र स्थित ऐसी अशासकीय संस्थाओं को जिन्हें विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है उनका निरीक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य जिला/जनपद पंचायतों की विषय समिति का शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। इन संस्थाओं का निरीक्षण करते समय जिला/जनपद पंचायत के सदस्य निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें –

1 संस्था को स्वीकृत अनुदान का उपयोग निर्धारित मदों के अन्तर्गत ही किया गया है ।
2 संस्था को स्वीकृत अनुदान का उपयोग पात्र हितग्राहियों के लिए ही किया गया है ।
3 संस्था द्वारा अन्य किसी स्रोत से उन मदों में राशि प्राप्त नहीं की गई है जिनकी शत प्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ।
4 संस्था में नियमित चुनाव सम्पन्न हुए हैं तथा संस्था की प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी का गठन क्रिया विधि सममत हुआ है ।
5 संस्था में कार्यरत कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता की पूर्ति करते है।
6 संस्था में हितग्राहियों एवं कर्मचारियों का अनुपात औचित्यपूर्ण है ।
7 संस्था द्वारा निर्मित चल अचल संपत्ति का उपयोग संस्था के हित में किया जा रहा है ।
8 संस्था के अनुदान का हिसाब किताब रखने के लिए व्यवस्थित लेखा – जोखा रख है । उपयोगिता प्रमाण पत्र समय समय पर प्रेसित किया है ।
9 संस्था द्वारा उत्पादन करने पर उसका समानुपातिक लाभ अन्तरु वासियों को प्रदत्त किया गया है ।
10 संस्था द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों के सर्वांगीण विकास के गुणात्मक उपलब्धियों का विवरण (इसके लिए कम से कम 5 प्रतिशात हितग्राहियों से प्रत्यक्ष चर्चा अवश्य की जाए)
11 संस्था द्वारा प्रदाय किये गये कृत्रिम अंग/उपकरणों का विवरण (इसके लिए कम से कम 5 प्रतिशत हितग्राहियों से प्रत्यक्ष चर्चा अवश्य की जाए)

2.8 जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय छिन्दवाडा में निम्नानुसार पद स्वीकृत है :–

सामाजिक न्याय विभाग

क्र0	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त	रिमार्क
1.	उपसंचालक	01	01	–	–
2.	परिवीक्षा अधिकारी	01	–	01	–
3.	मुख्य लिपिक	01	–	01	–
4.	सहायक ग्रेड.–2	03	–	03	–
5.	सहायक ग्रेड.3	07	08	–	–
6.	प्रमुख कलाकार	01	–	01	–
8.	कलाकार	07	07	–	–
9.	सिनेमा आपरेटर	01	01	–	–
10.	वाहन चालक	01	01	–	–
11.	भृत्य	05	04	–	–
12.	वाहनी स्वच्छक	01	01	–	–
13.	चौकीदार	01	01	–	–

इसके अलावा संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय जबलपुर के निर्देशनुसार श्रीमती गीता ठाकरे,,सहायक ग्रेड.3 कार्यालय नागरिक शिक्षा अधिकारी प्रौढ शिक्षा परियोजना, सौसर को माननीय उच्च न्यालय जबलपुर में दायर प्रकरण क्र.ओ. ए. 1549/1995 के आदेश के पालन में इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया गया एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देश अनुसार कार्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध वेतन आहरित कर भुगतान किया जा रहा है। प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है ।

2.9 दृश्य श्राव्य योजना–

ग्रामीण अंचलों में प्रचार– प्रसार हेतु दृश्य श्राव्य इकाई के अंतर्गत सिनेमा आपरेटर, वाहनी चालक एवं वाहनी स्वच्छक कार्यरत हें ।

2.10 आडिट

जिले की ग्राम पंचायतों का एवं ग्राम सभाओं का आडिट प्रतिवर्ष विभागीय संचालनालयीन दल, जिला एवं सब–आडिटर द्वारा सम्पन्न किया जाता है । माह सितम्बर 2005 अंत तक ...246 ग्राम पंचायतों का आडिट हो चुका है ।

जिलों में आडिट हेतु एक जिला आडिटर एवं आठ सब आडिटर के पद स्वीकृत हैं । सभी पद भरें हुए हैं ।

2.11 पंचायत शाखा

1. शाखा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत नस्तियां संधारित की जाती है ।
2. पंचायत कर्मी योजना –

म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रं. एफ– 2/12/22/पं. 1/95 भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 1995 के अन्तर्गत पंचायत कर्मी योजना लागू की गई । पंचायत कर्मी नियुक्ति एवं पृथक करने के अधिकार ग्राम पंचायत को ही है ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पंचायत कर्मी नियुक्त करते हुए प्रस्ताव जिला स्तर पर प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी कलेक्टर द्वारा उन्हें म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धरा 69 (1) के अन्तर्गत नियुक्त पंचायतकर्मी को उस पंचायत का सचिव अधिसूचित करता है तब सचिव को वित्तीय अधिकार प्राप्त होते है ।

3. त्रिस्तरीय ग्रामीण सचिवालय –

1. जिले में ग्यारह खंड सचिवालय हैं जो माह में एक बार लगते है ।
2. जिले में 57 उपखंड सचिवालय है जो माह में एक बार लगते है ।
3. जिले में 249 ग्रामीण सचिवालय है जो प्रत्येक सप्ताह में एक बार लगते है ।
4. ग्राम न्यायालय.– म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2001 के अन्तर्गत जिले के सात सामान्य विकास खंडों में 30 ग्राम न्यायालय संचालित है ।

1. छिन्दवाडा – 7	2. मोहखेड – 4
3. अमरवाडा – 4	4. परासिया – 3
5. चौरई – 7	6. सौसर – 4
7. पाढुर्णा – 1	

2.12 सूचना के अधिकार– 2005 से संबंधित लेखा शाखा की जानकारी

1. निराश्रित निधि

कृषि उपज मंडी समिति से प्राप्त निराश्रित शुल्क की राशि मूलधन/ब्याज (म.प्र. निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1999 के तहत व्यय किये जाने के प्रावधान है जिले में 4 (चार) मंडी है ।

छिन्दवाडा/चौरई/सौंसर/पांढुर्णा **निराश्रित निधि अन्तर्गत माह 12/09 की स्थिति में** निम्नानुसार राशि उपलब्ध है।

1– मूलधन 59397978.00

2– ब्याज 790044.00

....

6,01,88,022.00

....

1. लेखा शाखा अन्तर्गत प्राप्त आबंटन/व्यय से संबंधित केशबुक, निराश्रित निधि केशबुक, एन. पी.आर.पी.डी. केशबुक संधारित है।
2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत निराश्रित निर्धन/विधवा/परित्यक्ता के 1715 सामूहिक विवाह सम्पन्न किये गये है।

2.13 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये दिनांक 12.08.08 से निःशक्त व्यक्तियों के लिये विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 प्रारंभ की गई है। उक्त योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले पात्र व्यक्तियों को रू. 25,000/–रू. प्रोत्साहन राशि तथा प्रशंसा पत्र दिया जावेगा। यदि निःशक्त दम्पत्ति मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर विवाह करते है, तो दम्पत्ति को रू.6500/–रू. की सामग्री की पथक से स्वीकृति प्रदान की जावेगी। वर्ष 2009–10 में निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत 24 दम्पत्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई है।

विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु निम्नलिखित शर्ते लागू होगी :–

1– दम्पत्ति मध्यप्रदेश का निवासी हो।

2– दम्पत्ति में से कोई भी सदस्य किसी अपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दंण्डित नहीं किया गया हो।

3– शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो, एवं दम्पत्ति का विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से वैद्य ठहराया गया हो। दम्पत्ति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो ।

4– प्रोत्साहन राशि पात्र दम्पत्ति को संयुक्त रूप से देय होगी और यह राशि केवल एक बार ही देय होगी।

5– प्रोत्साहन राशि के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें निःशक्तता प्रमाण पत्र विवाह संबंधी विवरण आवेदक और उसकी पत्नि या पति द्वारा निर्धारित प्रारूप में 50 रू. के स्टांप पेपर में हस्ताक्षरित शपथ पत्र तथा वर तथा वधू के नवीनतम फोटोग्राफ प्रमाणित सहित चस्पा करना होगा।

2.14 विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी

विभागीय मान्यता का कमांक एवं दिनांक

1. शिक्षा प्रसार समिति दिशा निःशक्त विद्यालय धरमटेकडी (खापाभाट) छिन्दवाडा	5655/2000, 29.11.2000
2. वैष्णों द्रष्टिहीन मुकबधिर विद्यालय रघुवंशीपुरा छिन्दवाडा	207/ए. स.क./2001 12.1.2001
3. मातृसेवा संघ छोटा तालाब कुण्डीपुरा छिन्दवाडा	1459/नि.क./2003 28.4.03
4. पुरूषार्थ शिक्षा समिति पुराना नरसिंहपुर नाका छिन्दवाडा	2441/नि.क.2003 4.7.2003
5. अध्यक्ष सोशल केयर नवजागृति महिला मंडल वार्ड नं. 4 त्रिलोकी नगर रेल्वे स्टेशन के पीछे छिन्दवाडा	संचालक प. एवं सा. न्याय म.प्र. भोपाल पत्र क्र.एफ–2–33/05/ नशाबंदी 3081दि. 31.8.05 द्वारा विभागीय मान्यता प्राप्त ।

2.15 (1) विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है –

	बालक (प्रतिमाह)	बालिका (प्रतिमाह)
1. प्राथमिक स्तर	25	35
2. माध्यमिक स्तर	30	40
3. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर	110	120 (सामान्य/अ0पि0व0 के लिये)
4. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर	60	60 (अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिये)
5 स्नातक शिक्षा स्तर	250	250 (सा./अ0पि0व0 के लिये)
6 स्नातक शिक्षा स्तर	65	65 (अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिये)
7 स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर	300	300 (सामान्य/अ0पि0व0 के लिये)
8 स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर	60	60 (अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिये)

टीप :– (1) तकनीकी शिक्षण संस्थाओ में डिप्लोमा/पाठ्यक्रमो में अध्ययनरत निःशक्त बालक/बालिकाओं को स्नातक स्तर की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी ।

(2) अ.जा./अ.ज.जा. विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त, इस वर्ग के छात्र/ छात्राओं को उपरोक्त दर्शाये अनुसार निःशक्त छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भी प्रदाय की जावेगी ।

(3) सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के तहत पालन/अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा अधिकतम रूपये 24,000/– निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम रूपये 96,000/– वार्षिक (रूपये छियानबे हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है।

1. कृत्रिम अंग उपकरण का प्रदाय

1. जिनकी मासिक आय 2000/.– से कम हो
2. जिनका विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक हो (मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त)

प्राप्त बंटन	व्यय राशि
अप्राप्त	–

2. विकलांगों की पहचान हेतु सर्वेक्षण – विकलांगों का सर्वेक्षण 2006

क्र.	जनपद पंचायत नगरीय निकाय	अस्ति बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	मानसिक निः शक्त	बहु नि.	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23	13051	4627	2166	1952	1922	895	?

3. मद्य निषेध वर्ष 2009 – 10

क्र.	प्राप्त बंटन	व्यय राशि	उपलब्धि
1.	10,000/–	10,000/–	02

इसके अतिरिक्त विभागीय नियम, निर्देश एवं अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट http//www.m.p.nic,in/welfare/ में देख सकते है ।

2.16 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना – 2007 :– राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये " **मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना – 2007** " को प्रदेश के सभी जिलों में दिनांक 11.10.2007 से लागू की गई है। योजनांतर्गत पंजीयन होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत में निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा 10/–रू. शुल्क लेकर तीन वर्ष के लिये पंजीयन करेगी। पंजीयन उपरांत ग्राम पंचायत मजदूर को फोटो परिचय पत्र जारी करेगी। पंजीबद्ध मजदूरों से परिवार के लिये योजना के तहत् निम्न सहायता – प्रसूति सहायता/छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरूस्कार/विवाह सहायता /चिकित्सा सहायता/दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता प्रदान की जावेगी।

वर्ष 2009–10 में योजना के अंतर्गत 17.00 लाख का आबंटन अक्टूवर 2009 में प्राप्त हुआ है, प्राप्त आबंटन में से समस्त जनपद पंचायतों को राशि 1700000/–प्रदाय की गई।

2.17 बहु विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों के लिए सहायता योजना 2009

इस योजना का मूल उददेश्य गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने बाले 6 वर्ष से अधिक आयु के बहु विकलांक/ मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों के लिए सहायता अनुदान राशि रू 500/– प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान किया गया है । उक्त प्रावधान दिनांक 2–7–2009 से लागू किया गया है । उक्त योजना के अन्तर्गत आयु प्रमाण पत्र/मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र/गरीबी रेखा प्रमाण पत्र/राष्ट्रीयकत/सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैक में निःशक्तजन एवं माता पिता अथवा पालक अभिभावक का संयुक्त बचत खाता खोला जाना अनिवार्य है। इस तरह मूल निवासी प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र एवं आयु तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने का प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है।

योजनांतर्गत वर्ष 2009–10 में 7.00 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है, माह नवंबर 09 तक 49 हितग्राहियों को राशि रू.500/–प्रतिमाह के मान से राशि रू.75000/– से लाभांवित किया गया।

2.18 निःशक्तजन बालक/बालिकाओं के लिये छात्रगृह योजना 2008 :–

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानुसार निःशक्तजन छात्र–छात्राओं के लिये छात्रगृह योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें छात्रगृहों के संचालन में कक्षा 11वी तथा उससे उपर के छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जावेगा। छात्रगृह की स्थापना/संचालन में कम से कम 5 छात्र/छात्रायें गृह में रहने के लिये इच्छुक हो, तभी स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी। छात्रगृह में प्रवेश देने के लिये शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्य सक्षम रहेंगें। यह योजना दिनांक 08.09.2008 से प्रभावशील रहेगी। छात्रगृहो का संचालन, छात्रगृहो के लिये भवन, छात्रगृहों में प्रवेश आदि के लिये निर्धारित प्रपत्र में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यो को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। छात्र–छात्रा के माता/पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू.96000/– से अधिक नहीं होनी चाहिये।

2.19 विदेश अध्ययन हेतु निःशक्त बालक/बालिकाओं के लिये छात्रवृत्ति योजना 2008

यह योजना दिनांक 12.08.2008 से प्रारंभ की गई है इस योजना का उद्देश्य है, कि अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र–छात्राओं के चयनित विद्यार्थियों को विदेशी में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/पी.एच.डी. एवं पी.एच.डी. उपरांत शोध कार्यक्रमों में वित्तीय सहायत प्रदान करना है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 12 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी। उम्मीदवार की अथवा उनके परिवार /अभिभावक की वार्षिक आय रू.96000/– की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये। संचालनालय से विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक अथवा उसके पूर्व आवेदन पत्र सामाजिक न्याय संचालनालय को भेजी जा सकेगी।

2.20 जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय छिन्दवाडा की स्थापना संबंधी जानकारी –

क.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक के वेतनमान	मासिक वेतन	
1	2	3	4	5	6
1	राज नेमा	उपसंचालक	9300–34800+4200	16670	
2	रिक्त	मुख्य लिपिक	–	–	
3	रिक्त	सहायक ग्रेड–2	–	–	
4	डी.आर.बंसोड	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+2100	10130	
5	श्रीमती शीला चौहान	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+2400	10580	
6	बी.पी.साहू	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+2100	10130	
7	श्रीमती शर्मिला साहू	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+2100	9300	
8	सुरेश कोठी	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+1900	7740	
9	गोविन्द राव लाडसे	भृत्य	5200–20200+1800	7760	
10	दीनानाथ ठाकरे	भृत्य	5200–20200+1800	7610	
11	महेश शर्मा	भृत्य	4440–7440+1400	7200	
12	भूरेलाल उके	भृत्य	4440–7440+1300	5530	
13	कृष्णकुमार यादव	चौकीदार	4440–7440+1300	5530	
14	पद रिक्त	परिवीक्षा अधिकारी	–	–	

15	एस.आर.राउत	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+2100	10707	
16	रिक्त	भृत्य	–	–	
17	एस.के. सरदेशपांडे	कलाकार	5200–20200+2100	9790	
18	यशवंत शेण्डे	कलाकार	5200–20200+2100	9640	
19	एम.एल. गायकवाड	कलाकार	5200–20200+2100	9450	
20	नरेन्द्र पाल	कलाकार	5200–20200+2100	8630	
21	सुखसागर कोडापे	कलाकार	5200–20200+1900	8370	
22	सुरेश कुमरे	कलाकार	5200–20200+1900	8060	
23	संजय तेकाम	कलाकार	5200–20200+1900	7430	
24	एम.डी.साहू	सिनेमा आपरेटर	5200–20200+1900	8210	
25	विष्णु सावरकर	वाहन चालक	5200–20200+2400	10360	
26	कैलाश यादव	वाहनी स्वच्छक	4440–7440+1300	6750	
27	श्रीमती गीता ठाकरे	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+1900	6650	
28	एस.डी.अहाके	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+2100	10130	

क.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन	विशेष वेतन	अन्य परिलब्धियां	सकल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	राज नेमा	उपसंचालक	16670	00	8165	24835
2	रिक्त	मुख्य लिपिक	–	00	–	–
3	रिक्त	सहायक ग्रेड–2	–	00	–	–
4	डी.आर.बंसोड	सहायक ग्रेड–3	10130	00	4624	14754
5	श्रीमती शीला चौहान	सहायक ग्रेड–3	10580	00	4866	15446
6	बी.पी.साहू	सहायक ग्रेड–3	10130	00	4632	14762
7	श्रीमती शर्मिला साहू	सहायक ग्रेड–3	9300	00	4451	13751
8	सुरेश कोठी	सहायक ग्रेड–3	7740	00	3890	11630
9	गोविन्द राव लाडसे	भृत्य	7760	00	3821	11581
10	दीनानाथ ठाकरे	भृत्य	7610	00	3790	11400
11	महेश शर्मा	भृत्य	7200	00	3226	10426
12	भूरेलाल उके	भृत्य	5530	00	2750	8280
13	कृष्णकुमार यादव	चौकीदार	5530	00	2750	8280
14	पद रिक्त	परिवीक्षा अधिकारी	–	00	–	–
15	एस.आर.राउत	सहायक ग्रेड–3	10707	00	4751	15511
16	रिक्त	भृत्य	–	00	–	–
17	एस.के.सरदेशपांडे	कलाकार	9790	00	4555	14345

18	यशवंत शेण्डे	कलाकार	9640	00	4523	14163
19	एम.एल.गायकवाड	कलाकार	9450	00	4480	13930
20	नरेन्द्र पाल	कलाकार	8630	00	4311	12941
21	सुखसागर कोडापे	कलाकार	8370	00	4019	12389
22	सुरेश कुमरे	कलाकार	8060	00	3950	12010
23	संजय तेकाम	कलाकार	7430	00	3819	11249
24	एम.डी.साहू	सिनेमा आपरेटर	8210	00	3821	12031
25	विष्णु सावरकर	वाहन चालक	10360	00	5033	15393
26	कैलाश यादव	वाहनी स्वच्छक	6750	00	3008	9758
27	श्रीमती गीता ठाकरे	सहायक ग्रेड–3	6650	00	3525	10175
28	एस.डी.अहाके	सहायक ग्रेड–3	10130	00	4678	14808

कर्मचारी के दूरभाष एवं निवास पता संबंधी जानकारी –

क.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	कार्यालय	निवास	फैक्स ई–मेल पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज नेमा	उपसंचालक	07162	243426 – 9424391645	एफ.12 सिविल लाइन छिन्दवा	–	–
2	रिक्त	मुख्य लिपिक	–	–	–	–	–
3	रिक्त	सहायक ग्रेड–2	–	–	–	–	–
4	डी.आर.बंसोड	सहायक ग्रेड–3	07162	243426–9302274878	एम.एल.बी. स्कूल के सामने वार्ड न.10 छिन्दवाडा		
5	श्रीमती शीला चौहान	सहायक ग्रेड–3	07162	243426–222536	क्वा.नं.1,खजरी नाका के पास छिन्दवाड़ा		
6	बी.पी.साहू	सहायक ग्रेड–3	07162	243426–9425188168	रामबाग,कैलाश नगर, छिन्दवाड़ा		
7	श्रीमती शर्मिला साहू	सहायक ग्रेड–3	07162	243426–942430088	डी.डी.सी.कालेज के पास छि0		
8	सुरेश कोठी	सहायक ग्रेड–3	07162	243426	गुलाबरा, छि0		
9	गोविन्द राव लाडसे	भृत्य	07162	243426	राजपाल चौक के पास पुराना छापाखाना छि0		
10	दीनानाथ ठाकरे	भृत्य	07162	243426	आदर्श नगर, लोनियाकरबल, छि0		
11	महेश शर्मा	भृत्य	07162	243426–222080	शक्ति चौक, रघुवंशी पुरा छि0		
12	भूरेलाल उके	भृत्य	07162	243426	गुरैया नाका के पास छि0		
13	कृष्णकुमार यादव	चौकीदार	07162	243426	जनपद भवन नरसिंहपुर रोड छि0		
14	पद रिक्त	परिवीक्षा अधिकारी	–	–	–	–	–
15	एस.आर.राउत	सहायक ग्रेड–3	07162	243426–2322098	गीतांजली कालोनी एल.आई.जी40, छि0		
16	रिक्त	भृत्य	–	–	–	–	–

17	एस.के.सरदेशपांडे	कलाकार	07162	243426–247425	मते कालोनी डॉ. स्माईल के सामने छि0		
18	यशवंत शेण्डे	कलाकार	07162	243426–247330	न्यू पहाडे कालोनी गुलाबरा छि.		
19	एम.एल.गायकवाड	कलाकार	07162	243426–242192	शक्ति कालोनी छि.		
20	नरेन्द्र पाल	कलाकार	07162	243426–9300410424	नागद्वार चौक गुलाबरा, छि0		
21	सुखसागर कोडापे	कलाकार	07162	243426	चौकसे कालोनी छि0		
22	सुरेश कुमरे	कलाकार	07162	243426	ईशा नगर परासिया रोड छि0		
23	संजय तेकाम	कलाकार	07162	243426	पचमढी ढाना एस.ए.एफ. कालोनी चंदनगांव छि0		
24	एम.डी.साहू	सिनेमा आपरेटर	07162	243426–9424725244	डी.डी.सी.कालेज के पास छि0		
25	विष्णु सावरकर	वाहन चालक	07162	243426	चंदनगांव, छि0		
26	कैलाश यादव	वाहनी स्वच्छक	07162	243426	पुराना बैल बाजार		
27	श्रीमती गीता ठाकरे	सहायक ग्रेड–3	07162	243426–9329220523	गणेश कालोनी छि0		
28	एस.डी.अहाके	सहायक ग्रेड–3	07162	243426–9424397010	पुराना गुरैया नाका, छि0		

उपसंचालक
सामाजिक न्याय छिन्दवाड़ा

Last Update:- 21/12/2009